



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 130-2021/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 12, 2021 (SRAVANA 21, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 अगस्त, 2021

संख्या 52/50/2021-2C1.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 24 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्रीमती शशी बाला पत्नी श्री राजू राम कौशिक, वार्ड नं० 09, नगर पालिका, कलायत का नाम अधिसूचित करते हैं।

एस० एन० राय,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 12th August, 2021

No. 52/50/2021-2C1.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 24 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby notifies the name of Smt. Shashi Bala W/o Sh. Raju Ram Kaushik Ward No. 09 as President of Municipal Committee, Kalayat.

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.